रोज़ा (व्रत)

आयतुल्लाहिलउज़्मा सैय्यिदुलउलमा सै० अली नक़ी नक़वी ताबा सराह
सम्पादनः नूरे हिदायत फ़ाउन्डेशन
अनुवादकः सै० मुहिब्बुल हसन रिज़वी "समर" हल्लौरी

बिस्मिल्ला हिर्रमानिर्रहीम

अल्हमदु लिल्लाहि रब्बिल आलिमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदुलमुर्सलीन व अलैहित्ताहिरीन।

रोज़ा "व्रत" इस्लामिक आदेशों में काफ़ी महत्वपूर्ण है। हाँलाकि व्रत अनेक धर्मों में है किन्तु इस्लाम ने जिस रोज़े 'व्रत' को पूजा बताया है वह सूर्योदय के पहिले (जब तक अंधेरा बाक़ी हो) प्रभात से लेकर सूर्यास्त तक ईश्वर की इच्छा के वास्ते कुछ मुख्य कार्यों को छोड़ देना अर्थात उनसे अलग रहना जैसे खाना पीना आदि को छोड़े रखना।

व्रत से लाभ

लाभ दो प्रकार के होते हैं। एक अध्यात्मिक दूसरा पदार्थीय उन्नति, अध्यात्मिक उन्नति ईश्वर को समझने, उसतक पहुँचने के लिए सोचने तथा ऊँचे विचार तथा भले पन की शक्ति से उत्पन्न होते हैं, और द्रव्यये लाभ अपने ही से भी सम्बन्धित रख सकते हैं व अन्य मनुष्यों से भी।

सबसे प्रथम अध्यात्मिक उन्नति जिसकी जननी बन्दे होने की कल्पना है और यही कल्पना पूजा की मूल आत्मा है और इसी के द्वारा मनुष्य को अपने हर कार्य की देख भाल का ध्यान आता है कि वह ऐसा काम न कर बैठे जो कर्तार की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हो और इसी का नाम क़ुरआन में तक़्वा (भय) है।

रोज़ा मनुष्य में अल्लाह से डरने का गुण पैदा करता है। इस प्रकार कि वह रचनात्मक ढंग से इन्द्रियों से मुक़ाबला करने का अभ्यास कराता है। जीवन की उन आवश्यकताओं तथा इन्द्रियों की इच्छाओं जिनका मनुष्य अपने को कारागृही समझता है, वे रचनात्मक रूप से एक दैवी शक्ति के मुक़ाबले मे तुच्छ सिद्ध होती हैं और इसी कल्पना की उन्नति वह वस्तू है जो मनुष्य को अपने प्राण को बलिदान करने पर आमादा करती है।

यदि ध्यानपूर्वक सोचा जाये तो पता चलता है कि मनुष्य की कामनाएँ और अभिलाषाऐं ही हर प्रकार के अपराध की जननी है और इन्हीं कामनाओं (इन्द्रियों) पर काबू प्राप्त कर लेना ही मनुष्य का गौरव है।

मनुष्य का यह गुण नहीं की उसे गुस्सा कभी न आये, गुस्सा तो मनुष्य की एक मुख्य प्रवृत्ति है जिसके द्वारा बहुत से प्रशंसा योग्य कार्य भी पूरे किए जाते हैं। किन्तू मनुष्य का कमाल यह है कि गुस्से का प्रयोग ऐसे स्थान पर न करे जहाँ उसका प्रयोग अनुचित हो इसी प्रकार मनुष्य का कमाल यह नहीं कि उसमें इन्द्रियों द्वारा पैदा होने वाली अभिलाषाऐं न हों ऐसा मनुष्य तो रोगी है बल्कि कमाल यह है कि अपनी इच्छाओं को उचित समय और उचित ढंग से पूरी करे।

मनुष्य तथा पशु में उचित या अनुचित रूप से इच्छाओं को पूरा करने के अन्तर्गत अन्तर होना चाहिए।

रोज़ा इन्द्रियों पर विजय पाने के लिए एक सबसे अच्छी तपस्या है। इसमें बहुत सी उचित इच्छाओं जिनके पूरा करने पर भी मनुष्य अपराधी नहीं बनता वे भी एक निश्चित समय तक रोक दी जाती हैं। और इस प्रकार मनुष्य की हर इच्छा के उसके बस मे हो जाने की अधिक सम्भावना हो जाती है। और मानवता का तत्व में उभरता है। तथा उन्नति करता है।

इसके अतिरिक्त रोज़े से दीन दुखियों की तकलीफ़ों और उनके दुख दर्द की महत्ता समझ में आती है। साधारणतः अमीर लोगों को उपवास का मज़ा नहीं मिलता उन्हें उपवास के कष्ट का अनुभव नहीं होता, रोज़ा रखने के पश्चात उनको भूख के कष्ट का पता चलता है। और इस प्रकार उनके अन्दर ग़रीबों की सहायता की भावना उत्पन्न हो सकती है। जो भौतिक लाभ रोज़े द्वारा प्राप्त हो सकता है। वह यह है कि बहुधा शरीर में जो मल अथवा व्यर्थ पदार्थ उत्पन्न हो जाते हैं और जो पेट में इकट्ठा हो जाते हैं, रोज़े के कारण वह सब धुल जाते हैं। इस के अतिरिक्त आमाशय की मशीन जो ग्यारह महीने बराबर चलती रहती है, उसे एक महीना कुछ न कुछ विश्राम का समय मिलता है, और आमाशय में एक नवीन शक्ति आ जाती है। आर्थिक दृष्टकोण से भी यदि मनुष्य व्यर्थ रोज़ा खोलने के समय क़ीमती तथा स्वादिष्ट भोजन न करे और साधारण भोजन करे और साधारण भोजन करे तो इस प्रकार रोज़े से एक समय के खाने का पैसा बच सकता है। जिसे अन्य क़ौमी कार्यों में लगा कर अधिक लाभ उठाया जा सकता है।

स्वास्थ रक्षा का ध्यान

चूँकि इस्लाम मनुष्य की अध्यात्मिक रक्षा के साथ साथ शारीरिक रक्षा का भी ज़िम्मेदार है इसलिए उसने रोज़े में धैर्य तथा बर्दाश्त उसी हद तक रखा है जहाँ तक उससे मानव स्वास्थ तथा मानव जीवन को कोई हानि न पहुँचती हो। इसलिए रोज़े का निश्चित समय प्रभात से सूर्यास्त तक रखा गया है।

और एक दिन से अधिक लगातार रोज़ा रखने को मना किया गया है। इसके अतिरिक्त यदि मनुष्य रोगी हो कि रोज़ा इसे हानि पहुँचाता हो या मुसाफ़िर (यात्री) हो तो इस अवस्था में रोज़ा न रखे बल्कि किसी और समय में इसके बदले को पूरा कर दें। इसी प्रकार वृद्धावस्था में या अधिक गर्म मिजाज़ होने के कारण हर दम प्यास लगने या स्त्रियों को गर्भवती रहने या बच्चा पैदा होने के तुरन्त बाद यदि रोज़ा रखने में कष्ट हो तो उनको रोज़ा की बजाय फ़िद्या (बदला) देने का आदेश दिया गया है। अर्थात हर रोज़े के बजाय एक मुद् सवा तीन पाव ग़ल्ला किसी निर्धन को दे और ऐसी दशा में इन रोज़ों की क़ज़ा (फिर रखना) की भी आवश्यकता नहीं है।

रोज़े का समय

रोज़े को एक नियम के अनुसार इस्लाम ने एक मुख्य समय में रखा है। और वह रमज़ान का महीना है जो चाँद के साल का नवाँ महीना है यदि रोज़े का समय निर्धारित न होता तो कोई शाबान के महीने में कोई शव्वाल के महीने में पृथक रूप से रोज़ा रख लेता और वह सामूहिक शान न पैदा होती जो एक समय के नियुक्त करने से पैदा हो गई है। इस सामूहिक रूप से रोज़े का रखना कष्टपूर्ण होते हुए भी अच्छा लगने लगता है इसलिए कि सब एक रंग में होते हैं।

रोज़ा तोड़ने वाली वस्तुऐं

निम्नलिखित वस्तुओं का रोज़े में छोड़ना आवश्यक है। इनसे रोज़ा टूट जाता है।

१. जान बूझकर और इरादे के साथ खाना पीना।

२. जान बूझकर और इरादे के साथ वीर्य का निकालना चाहे किसी रूप से क्यों न हो। इसमें कभी कभी अपनी स्त्री को भी देखने से बचाव करना होगा यदि वीर्य के निकलने की शंका हो।

३. रात को यदि जानबूझ कर या अन्जान में वीर्य निकला हो तो उसी अवस्था में जानबूझ कर बिना स्नान के उसी अवस्था में पड़ी रहना।

४. धूल गुबार आदि को हलक़ के नीचे उतरने देना।

५. जानबूझ कर क़ै (उल्टी) करना।

६. किसी द्रव चीज़ का अमल लेना।

७. सिर को पानी के अन्दर जैसे हौज़ या तालाब आदि में पूरा डूबोना।

८. खुदा, रसूल तथा पवित्र इमामों पर झूट बांधना

अर्थात किसी कथन या कार्य के बारे में मिथ्या से काम लेकर यह कहना कि यह कथन या कार्य ख़ुदा, रसूल या इमाम का है। इस ओर अधिक ध्यान भाषण देने वाले और मजलिस पढ़ने वालों को देना है।

चाँद

इस्लाम ने धार्मिक कार्यों और कर्तव्यों की पूर्ति के लिए सूर्य के साल का नहीं बल्कि चाँद के साल का विश्वास रखा है। इसलिए रोज़ों को भी चाँद के हिसाब से रमज़ान में रखा। जब चाँद हो गया, रोज़ा अनिवार्य हो गया फिर जब दूसरा चाँद (शव्वाल का) हुआ तो रोज़ा हराम, चाँद के निकलने का सम्बन्ध केवल देखने से है। किन्तु कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि बदली या किसी और कारण से चाँद दिखाई नहीं पड़ता हो ऐसी दशा में चाँद निकलने की जाँच के हैं, जैसे दो आदिलों (न्याय करने वाले) की गवाही। आदिल उसे कहते हैं जिनके अच्छे कर्तव्यों तथा जिनकी पवित्र जीवनी का पूर्ण ज्ञान हो इसके अतिरिक्त मुजतहिद का निर्णय कि चाँद हो गया। या चाँद निकलने की इतनी सूचनाऐं मिल जायें जिससे चांद होने का विश्वास हो जाय। यह सब बातें २९ के चांद के लिए आवश्यक हैं। यदि ३० तारीख़ है तो हर दशा में चांद का होना माना ही जायेगा।

नीयत (मनन)

रोज़ा एक पूजा है और बिना ध्यान (मनन) के नहीं हो सकती। यह मनन कोई बड़े सोच विचार के बाद ध्यान में लाई हुई वस्तु नहीं है और न ज़बान पर लाए हुए शब्द बल्कि नीयत उस प्रण का नाम है जो किसी काम के करने का कारण बनता है। आख़िर आदमी रोज़े में उन वस्तुओं या कामों को क्यों छोड़ रहा है जो मना है। इसका कारण अल्लाह का हुक्म और उसकी मर्ज़ी होना चाहिए बस यही नीयत है। यह बात हर रोज़े के रखते वक्त होना चाहिए। इसलिए यह समझना कि शुरू में एक नीयत तीसों रोज़ों के लिए काफ़ी है और हर रोज़े के लिए नीयत की आवश्यकता नहीं, ग़लत है।

एक मुख्य रियायत

नियमानुसार यदि कोई कार्य कई अंगो में बटा हुआ हो या एक ख़ास समय तक क़ायम रहने वाला हो तो उसके प्रत्येक अंग को इरादे के साथ करना चाहिए। किन्तु रोज़े के संबन्ध में धर्म शास्त्र ने यह सरलता रखी है कि यदि अनिवार्य रोज़े मे मनुष्य ने कुछ खाया पिया न हो तो दोपहर के पूर्व नीयत की जा सकती है।

एक और आसानी

शाबान का २९ तारीख़ का चांद यदि निश्चित न हो सके तो ३० शाबान को रमज़ान के रोज़े के इरादे से रोज़ा नहीं रख सकता बल्कि अगर चाहे तो सुन्नत की नीयत से रोज़ा रख सकता है फिर यदि बाद मे पता चले कि यह दिन रमज़ान के महीने का था तो यह रोज़ा उसी हिसाब मे आ जायेगा। क़ज़ा रोज़ा रखने की आवश्यकता नहीं है।

रोज़ा न रखने का कफ़्फ़ारा (जुर्माना)

यदि रमज़ान के महीने में जानबूझ कर एक दिन भी रोज़ा न रखे तो पाप होने के अतिरिक्त जुर्माना भी देना अनिवार्य है और वह यह है कि साठ ग़रीबों को खाना खिलाए या दो महीने लगातार रोज़े रखे या एक गुलाम अल्लाह की राह में आज़ाद करे।

आज कल जबकि गुलामी का रवाज नहीं है गुलामो की ख़रीद व फ़रोख़्त क़ानूनी जुर्म है केवल दो पहले बयान की हुई बातें ही सम्भव हैं।

यह जुर्माना देना एक आवश्यक कर्तव्य है। और इस जुर्माना देने के बाद भी रोज़ा रखना आवश्यक है। यदि ऐसा न होता तो धनवान लोग केवल जुर्माना दे देते और रोज़ा कभी न रखते। जुर्माना देने के बाद भी रोज़े की ज़िम्मेदारी है।

यदि कोई व्यक्ति अल्लाह न करे कि रोज़ा भी न रखे और उसकी बजाय हराम काम करे जैसे शराब पिये या किसी पराई स्त्री से सम्बन्ध स्थापित करे तो ऐसे

व्यक्ति पर तीनों जुर्मानों का देना अनिवार्य है अर्थात साठ गरीबों को खाना खिलाए, दो महीना लगातार रोज़े रखे और एक गुलाम भी अल्लाह की राह में आज़ाद करे। वर्तमान समय में यह इस प्रकार संभव है कि उन इस्लामी देशों में जहां गुलाम बेचे जाते हैं जैसे हिजाज़ वग़ैरा वहां किसी साधन से रूपया भेज दें कि कोई वहाँ गुलाम ख़रीद कर उसकी ओर से आज़ाद कर दे।

रोज़े के तरीक़े और उसके सिद्धाँत

रोज़ा मनको पवित्र करने के लिए रखा जाता है इस लिए इमामों ने ताकीद की है कि रोज़े की अवस्था में मनुष्य अपनी ज़बान, दिल और कुल इन्द्रियों को बस मे रखे। हदीस में लिखा है कि जब तुम रोज़ा रखो तो तुम्हारे कान, आँख, शरीर की खाल यहाँ तक की शरीर का हर भाग रोज़ेदार हो। उसका अर्थ यह है कि कान उन आवाज़ों को न सुने जिनका सुनना धर्म के विरुद्ध है। आँख ऐसे दृश्य न देखे जिसका देखना मना हो। शरीर की खाल ऐसे वस्तुओं को न छुए जिसके छूने से मना किया गया है। इसी प्रकार शरीर के दूसरे भागों पर भी पाबन्दी है। अधिक स्पष्ट शब्दों में यह कि तुम्हारे रोज़े का दनि बिना रोज़े के दिन के समान न हो। एक हदीस में है- "जब रोज़ा रखो तो अपनी ज़बानों को रोके रखो, निगाहों को रोके रखो, आपस में लड़ाई न करो, एक दूसरे की ज़िद और जलन न करो।"

ख़ास तौर से इस बात का आदेश है कि रोज़े मं नौकरों पर सख़्ती न करो। पैग़म्बर साहब ने सुना कि एक महिला रोज़ा रखकर अपनी सेविका को गालियां दे रही थी हज़रत ने कहा इसके लिए खाना लाओ उस औरत ने कहा मैं रोज़े से हूँ, हज़रत ने कहा तुम कैसे रोज़े से हो? तुम अपनी सेविका को गालियां देती हो! रोज़ा केवल न खाने पीने का नाम नहीं।

इमाम जाफ़र सादिक़ (अ०) का कथन है कि "यदि रोज़ेदार के सामने कोई जिहालत से भी काम ले तो यह उसे सह ले।" दो हदीसें इस विषय की हैं "जिस रोज़ेदार अल्लाह के बन्दे को गाली दी जाए और वह कहे अल्लाह तुम्हारा भला करे मैं तुम्हें इन प्रकार के शब्द न कहूंगा जैसे तुम ने मुझे कहे तो अल्लाह कहता है कि मेरे बन्दे ने दूसरे व्यक्ति की शरारत के मुक़ाबले में रोज़े का शरण लिया है। अब मैं इसके दण्ड से इसको शरण दूंगा। इसे स्वर्ग में प्रवेश करने की अनुमति दी जाये।"

एतिकाफ़ (व्यक्तिगत् तपस्या)

नीयत के साथ तीन दिन बराबर रोज़े रख कर मस्जिद में ठहरे रहने को एतिकाफ़ कहते हैं यह हर समय में पुण्य का काम है किन्तु मुख्य रूप से रमज़ान के महीने के अन्तिम दस दिनों मं इसका बहुत सवाब है।

एतिकाफ़ के लिए ज़रूरी है कि नगर की जुमा मस्जिद में हो, इस समय में उसको मस्जिद से बाहर निकलने की आज्ञा नहीं है। किन्तु किसी ऐसी आवश्यकता के लिए निकल सकता है जो पुण्य से सम्बन्धित हो और जिसकी पूर्ति बिना मस्जिद से बाहर निकले असम्भव हो जैसे किसी जनाज़े के साथ जाना या किसी मोमिन भाई की आवश्यकता का पूरा करना किन्तु जब मस्जिद से बाहर निकले तो किसी छायादार स्थान पर न बैठे और मस्जिद के बाहर नमाज़ न पढ़े दो दिन तक अपनी मर्ज़ी से एतिकाफ़ को तोड़ सकता है किन्तु तीसरे दिन एतिकाफ़ अनिवार्य हो जाता है। और यदि एतिकाफ़ किसी मन्नत के कारण अनिवार्य था तो पहले और दूसरे दिन भी उसका तोड़ना उचित न होगा।

एतिकाफ़ की अवस्था में स्त्री भोग (चाहे रात ही में क्यों न हो) मना है। इसके अतिरिक्त ख़रीदना व बेचना, किसी से अपने स्वार्थ के लिए झगड़ना, ख़ुश्बू सूँघना सब कुछ मना है।

यह सब बातें ऐसी हैं जो मनुष्य में सहनशीलता पैदा करती हैं और उसको न्यायपूण्र जीवन व्यतीत करने की शिक्षा देती हैं। (.......जारी)